वाद संख्याः 272/2022 दायर दिनाँक 07.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल दत्तक पुत्र बालु जाति अहीर उम्र 53 वर्ष, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **08.07.2022**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 570 रकबा 0.1900 हैक्टे0, खसरा सं0 571 रकबा 0.1200 हैक्टे0 कुल 0.3100 हैक्टे0 वाकै सुद्रासन, तहसील डीडवाना स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी, बालु पुत्र रूघनाथ, जाति अहीर निवासी सुद्रासन के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

यह है कि उक्त खातेदार बालु का स्वर्गवास आज से करीब 38 वर्ष पूर्व ही हो चुका है, तथा बालु की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि जेता बेवा स्वर्गीय बालुराम ने वादी मांगीलाल पुत्र मोहनराम (मांगीलाल दत्तक पुत्र बालु) को छोटी उम्र में ही स्वयं के कोई पुत्र पुत्री नही होने से गोद ले लिया था, तथ्झा वादी को गोद लेने व देने का दस्तुर रूबरू भाई बन्धुओं के जाति रिवाज के अनुसार सम्पन्न किया था, तथा वादी के हाथ मोली बांधी0सं0 व उसकी माता जेता ने गोदी में बिठाकर सिर पर हाथ फेरा और अपने परिवार में गुड़ बांटा अर्थात गोद लेने व देने की सारी रश्में अदा की गयी थी, तथा जब वादी का दत्तक पिता बालुराम बिमार था, तो उसकी सेवा चाकरी भी वादी ने ही की थी, लेकिन वादी को गोद रखने की लिखापढ़ी दिनांक 20.05.1985 को रूबरू मौतबिरान करके उप पंजीयक कार्यालय डीडवाना में गोदनामा का पंजीयन करवाया था, जिस पर वादी की दत्तक माता जेता के निशान अंगुठा है।

यह है कि स्वर्गीय बालु के स्वर्गवास के बाद उसके अन्तिम संस्कार, जाति रिवाज के अनुसार प्रथम पक्ष ने ही किये थे, तथा समाज में बाहरवें दिन का दस्तुर भी पाग बंधाकर वादी के ही किया था, अर्थात वादी ने प्राकृतिक पुत्र की तरह अपने दत्तक माता–पिता की सेवा व अन्तिम संस्कार के सारे रश्म रिवाज वादी ने ही निभाये थे।

यह है कि उक्त भूमि पर स्वर्गीय बालु के पुत्र की हैसियत से शुरू से लेकर आज तक वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है क्योंकि वादी ही एक मात्र पुत्र है तथा वादी ने खसरा सं0 570 में अपना रिहायसी मकान बना रखा है, जिसमें सपरिवार निवास करता है, स्वर्गीय बालु के वादी के अलावा कोई अन्य वारिसान नही है। ऐसी स्थिति में उक्त खेतो की खातेदारी वादी अपने नाम करवाने का कानूनन हकदार है, तथा उक्त खेतों की खातेदारी में बालु पुत्र रूघनाथ का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादी के नाम से रेकर्ड दुरूस्ती की जानी जरूरी है। अतः वादी को दावा बाबत घोषणा ख़ातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

यह घोषणा की जावे कि खेत खसरा सं0 570 रकबा 0.1900 हैक्टे0 व खसरा सं0 571 रकबा 0.1200 हैक्टे0 कुल 0.3100 हैक्टे0 वाकै सुद्रासन की खातेदारी वादी मांगीलाल की है तथा [illegible] की खातेदारी में से बालु पुत्र रूघनाथ जाति अहिर निवासी सुद्रासन का नाम हटाया जा[illegible] के नाम से खातेदारी घोषित कर राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती [illegible] ई में [illegible] दरामद की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपस्थित होने से इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, वादी ने वाद का डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुद्रासन के खेत खसरा सं0 570 रकबा 0.1900 हैक्टे0 व खसरा सं0 571 रकबा 0.1200 हैक्टे0 कुल 0.3100 हैक्टे0 भूमि में बालु पुत्र रूघनाथ की खातेदारी के स्थान पर वादी मांगीलाल को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनॉक **08.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:36:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

वाद संख्याः 272/2022 दायर दिनाँक 07.07.2022

वादी		प्रतिवादीगण
1. मांगीलाल दत्तक पुत्र बालु जाति अहीर उम्र 53 वर्ष, निवासी सुद्रासन, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 08.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुद्रासन के खेत खसरा सं0 570 रकबा 0.1900 हैक्टे0 व खसरा सं0 571 रकबा 0.1200 हैक्टे0 कुल 0.3100 हैक्टे0 भूमि में बालु पुत्र रूघनाथ की खातेदारी के स्थान पर वादी मांगीलाल को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–....................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:30:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner